

मध्य प्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय

क्रमांक एफ 18-2/2011/ई/चार,  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 3/5/17

आयुक्त,  
कोष एवं लेखा,  
भोपाल।

विषय:- जिला पेंशन अधिकारियों को उनके जिले के शासकीय सेवकों के वेतन निर्धारण अनुमोदन के अधिकार प्रत्यायोजित किये जाने बाबत।

संदर्भ:- आपका प्रस्ताव जावक क्रमांक 88/16/149, दिनांक 24.11.2016

--00--

निर्देशानुसार उपरोक्त विषयान्तर्गत नवगठित नर्मदापुरम, शहडोल एवं चंबल संभाग के संभागीय जिला पेंशन अधिकारियों को उनके संभाग अंतर्गत जिलों में कार्यरत सेवकों के वेतन निर्धारण के अनुमोदन का कार्य सौंपा जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार

( विजय कठाने )

अवर सचिव


मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक एफ 18-2/2011/ई/चार,  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 3/5/17

1. महालेखाकार, लेखा और हकदारी, ग्वालियर/ भोपाल,
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
3. समस्त संभागीय आयुक्त,
4. समस्त विभागाध्यक्ष,

5. समस्त कलेक्टर्स,
  6. समस्त संयुक्त संचालक, कोष एवं लेखा
  7. समस्त जिला पेंशन अधिकारी,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
अवर सचिव  
मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

2/5/11